



उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

'सूचना भवन' लाड़पुर रिंग रोड, देहरादून

E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in

दूरभाष : 0135-2662971 / फ़ैक्स : 2662334

पत्रांक : -130 / सू.एवं.लो.सं.वि.(क्षे.प्र. फो.फि.)42 / 2015

दिनांक : 19 अगस्त, 2017

श्रेणी 'क', 'ख' व 'ग' में न्यूज वेबसाइटों को विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध किये जाने से संबंधित निविदा प्रस्ताव

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा राज्य सरकार की नीतियों, योजनाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु वेबसाइटों को विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध किये जाने से संबंधित निविदा प्रस्ताव दिनांक 21 अगस्त, 2017 से दिनांक 11 सितम्बर, 2017 तक आमंत्रित की जाती है। तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव अलग-अलग सीलबन्द लिफाफे में दिनांक **11 सितम्बर, 2017 को सायं 4.00 बजे तक** विभाग में जमा करना आवश्यक होगा। प्राप्त निविदाएं दिनांक 12 सितम्बर, 2017 को प्रातः 11.00 बजे विभागीय निविदा समिति द्वारा निविदादाताओं की उपस्थिति/अनुपस्थिति, दोनों ही दशाओं में खोल दी जायेगी।

निविदा प्रपत्र दिनांक 21 अगस्त, 2017 से दिनांक 11 सितम्बर, 2017 (अपरान्ह 3.00 बजे) तक किसी भी कार्य दिवस में सायं 03 बजे तक विभागीय खजाने में 100/- (रुपये एक सौ मात्र) +18 प्रतिशत जी.एस.टी. कर क्षेत्र प्रचार प्रभाग (सोशल मीडिया प्रभाग, कक्ष संख्या-110) से प्राप्त किये जा सकता है।

उक्त निविदा प्रपत्र वेबसाइट <http://www.uttarainformation.gov.in> से भी डाउनलोड किया जा सकता है। वेबसाइट से डाउनलोड की गई निविदा हेतु भी उपरोक्त निर्धारित मूल्य निविदादाता फर्म को निर्धारित तिथि तक विभाग के खजाने में नगद जमा करते हुए जमा रसीद संलग्न करनी होगी।

विभागीय निविदा संख्या-297/सू.एवं.लो.सं.वि.(क्षे.प्र.फो.फि.)42/2015, दिनांक 25 जुलाई, 2016 के अन्तर्गत तदसमय निर्गत किये गये विभिन्न कार्यादेशों के द्वारा विभाग में वर्तमान में सूचीबद्ध सभी न्यूज पोर्टल/वेबसाइटों को उक्त निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करना आवश्यक होगा। नई सूचीबद्धता प्रक्रिया पूर्ण होते ही पूर्व से चली आ रही सूचीबद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

sd-

(डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय)
महानिदेशक

व



उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
'सूचना भवन' लाड़पुर रिंग रोड, देहरादून

E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in

दूरभाष : 0135-2662971 / फ़ैक्स : 2662334

पत्रांक : -130/सू.एवं.लो.सं.वि.(क्षे.प्र. फो.फि.)42/2015

दिनांक 19 अगस्त, 2017

निविदा प्रपत्र

1. निविदा प्रपत्र क्रय करने की अन्तिम तिथि 11 सितम्बर, 2017 सायं 03 बजे तक।
2. मुहरबन्द निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि 11 सितम्बर, 2017 सायं 4.00 बजे तक।
3. मुहरबन्द निविदा खुलने की तिथि 12 सितम्बर, 2017 प्रातः 11 बजे।

अपर निदेशक
कृते महानिदेशक
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

७

तकनीकी निविदा

1. बेवसाइट न्यूनतम छः माह पुरानी हो तथा समान नाम व समान Ownership में छः माह से सक्रिय हो। इसके लिए प्रमाणिक अभिलेख उपलब्ध कराया जाना होगा।
2. बेवसाइट की Minimum Average Unique Visitor/Users (ग्लोबल) संख्या प्रतिमाह तीन हजार से कम न हो।
3. बेवसाइट के यूनिक यूजर बेस का निर्धारण गूगल एनालिटिक डाटा के आधार पर होगा और बेवसाइटों को यह डाटा सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड को नियमित रूप से प्रदान करना होगा। सूचना विभाग आवश्यकता पड़ने पर किसी तृतीय पक्ष से उस डाटा की जांच करा सकता है।
4. केवल उन्हीं बेवसाइटों को सूचीबद्ध किया जायेगा जिनका संचालन करने वाली कम्पनी/संस्था/व्यक्ति का निवास/ कार्यालय उत्तराखण्ड में स्थित हो।
5. बेवसाइटों को निम्नानुसार श्रेणियों में विभाजित किया जायेगा :-
समूह क-20,000 से अधिक यूनिक विजिटर्स/यूजर्स प्रतिमाह।
समूह ख-10,001 (दस हजार एक) से 20000 (बीस हजार) यूनिक विजिटर्स/यूजर्स प्रतिमाह।
समूह ग-3,000 (तीन हजार) से 10000 (दस हजार) यूनिक विजिटर्स/यूजर्स प्रतिमाह।
6. महानिदेशक गुपवार बेवसाइटों की अधिकतम संख्या को निर्धारित कर सकते हैं।
- 7- यदि न्यूनतम यूनिक यूजर संख्या (3000 प्रतिमाह) सूचीबद्धता के उपरान्त लगातार तीन माह कम पायी जाती है, तो सूचीबद्धता निरस्त की जा सकती है।
8. वेबसाइट पर कोई अश्लील सामग्री या भारत की अथवा राज्य सरकार के किसी विधान/ कानून का उलंघन करने वाली सामग्री का संज्ञान लिए जाने पर सूचीबद्धता निरस्त कर दी जायेगी तथा ऐसी किसी भी स्थिति में समस्त कानूनी, वैधानिक जवाबदेही सम्बन्धित वेबसाइट एवं उसके संचालक की ही होगी, सूचना विभाग की कोई जवाबदेही नहीं होगी।
9. फर्म का पैन नम्बर और जी.एस.टी. पंजीकरण नंबर होना आवश्यक है। जो फर्म जी.एस.टी. पंजीकरण के अन्तर्गत नहीं आती है, उन्हें इस संबंध में एक शपथ पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा, कि उनकी फर्म जी.एस.टी. पंजीकरण के दायरे में नहीं आती है।
10. फर्म को प्रस्ताव के साथ **रु.5,000/- (रुपये पांच हजार मात्र)** का बैंक ड्राफ्ट अर्नेस्ट मनी के रूप में महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के नाम बनाकर संलग्न करना होगा।
11. फर्मों को विगत 6 माह का गूगल एनालिटिक डाटा उपलब्ध कराना होगा। निविदा प्रक्रिया में डाटा की सत्यता के लिए बेवसाइट द्वारा शपथ पत्र दिया जायेगा।
12. विगत तीन माह में न्यूज पोर्टल द्वारा प्रकाशित सभी हेडलाइन, तिथिवार सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध करानी होगी। वेबसाइट पर प्रसारित सामाचार/लेख, वेबसाइट के स्वयं के होने चाहिए अथवा किसी मानद संस्था/एजेंसी से प्राप्त किये होने चाहिये। दो या दो से अधिक वेबसाइटों पर एक ही भाषा, वाक्य विन्यास में प्रस्तुत लेख/समाचार पाये जाने पर सूचीबद्धता निरस्त की जा सकती है।

अन्य शर्तें :

1. चयनित फर्म को रु. 100/- के स्टाम्प पेपर में इस विभाग के साथ अनुबन्ध करना होगा।
2. सफल निविदादाता जिसे सूचीबद्ध किया जायेगा, उसे कार्य करने से पूर्व रु. 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार) मात्र धनराशि कार्यपूर्ति प्रतिभूति के रूप में विभाग में बंधक करनी होगी, जो महानिदेशक, सूचना के नाम (एकाउन्ट पेई), सावधि जमा रसीद या बैंक गारंटी के रूप में होगी।
3. फर्म को वित्तीय प्रस्ताव संलग्न निर्धारित प्रारूप-2 पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, जिन फर्मों के वित्तीय प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप-2 पर उपलब्ध नहीं होंगे उनके प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. फर्म को तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव पृथक-पृथक सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करने होंगे। उक्त प्रस्तावों के ऊपर स्पष्ट रूप से 'तकनीकी प्रस्ताव' एवं 'वित्तीय प्रस्ताव' एवं फर्म का पता लिखा होना आवश्यक होगा। तदुपरान्त उक्त दोनों लिफाफे एक अन्य सीलबन्द लिफाफे में

२६

- बन्द कर प्रस्तुत करने होंगे। उक्त लिफाफे के ऊपर "वेबसाइट विज्ञापन सूचीबद्धता हेतु प्रस्ताव" एवं फर्म का नाम एवं पता स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा।
5. वेबसाइट सूचना विभाग की घोषित दरों से कम किसी अन्य दर पर कोई विज्ञापन नहीं चलायेंगे, ऐसा उन्हें लिखित घोषणा पत्र देना होगा।
 6. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग को बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा।
 7. किसी भी दशा में विवाद के लिए न्याय क्षेत्र देहरादून होगा।
 8. फर्म द्वारा पैन नंबर/जी.एस.टी. पंजीकरण नम्बर प्रदान करने पर ही भुगतान किया जायेगा। यह जिम्मेदारी सर्वथा सम्बन्धित फर्म की होगी कि वे नियमानुसार जी.एस.टी. का दावा करें।
 9. चयनित फर्मों को अनुबंध के पूर्व अपनी वेबसाइट से संबंधित एक प्रस्तुतीकरण करना होगा, जिसमें उनके द्वारा वेबसाइट संचालन हेतु प्रयुक्त मानव संसाधन, समाचारों के संकलन की व्यवस्था, उपकरण, कार्यालय आदि का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
 10. विभागीय पत्रांक संख्या-439/सू.एवंलो.सं.वि.(क्षे.प्र.इलै.)42/2015, दिनांक-14 सितम्बर, 2016, पत्रांक संख्या-508/सू.एवंलो.सं.वि.(क्षे.प्र.इलै.)42/2015, दिनांक-02 दिसम्बर, 2016 के द्वारा श्रेणी-'क', पत्रांक संख्या-440/सू.एवंलो.सं.वि.(क्षे.प्र.इलै.)42/2015, दिनांक-14 सितम्बर, 2016 तथा पत्रांक संख्या-508/सू.एवंलो.सं.वि.(क्षे.प्र.इलै.)42/2015, दिनांक-02 दिसम्बर, 2016 के द्वारा श्रेणी-'ख' तथा पत्रांक संख्या-441/सू.एवंलो.सं.वि.(क्षे.प्र.इलै.)42/2015, दिनांक-14 सितम्बर, 2016 तथा पत्रांक संख्या-508/सू.एवंलो.सं.वि.(क्षे.प्र.इलै.)42/2015, दिनांक-02 दिसम्बर, 2016 के द्वारा न्यूज पोर्टल को श्रेणी-'ग' में सूचीबद्ध न्यूज पोर्टल/वेबसाइट नवीन सूचीबद्धता प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद स्वतः निरस्त समझे जायेंगे।

अपर निदेशक,
कृते महानिदेशक,
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड,
लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून

फर्म का नाम :

पता :

टेलीफोन/मोबाइल नम्बर :

प्रोपराइटर के हस्ताक्षर :

.....
.....
.....
.....

प्रारूप -2
(वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु
निर्धारित प्रारूप)

1. वेबसाइटों द्वारा वेब बैनरों के लिए प्रतिमाह एक मुश्त दर महानिदेशक द्वारा निर्धारित आकार एवं Positons (स्थान) हेतु घोषित की जायेगी।
2. किसी भी बैनर साइज के लिए घोषित न्यूनतम दर (गुप वार) उस गुप की आधार दर (Base Rate) मानी जायेगी। आधार दर पर सूचीबद्धता हेतु कमशः उस गुप में न्यूनतम दरें घोषित करने वाली वेबसाइटों को आमंत्रित किया जायेगा, जो इस दर पर सूचीबद्धता हेतु सहमत हों (Principle of first offer to lowest rate offering websites)।
3. विभाग द्वारा केवल Standard Size Web Banners (वेब बैनर) के रूप में Display विज्ञापन दिया जायेगा। विभाग वेबसाइटों को वेब बैनर्स के लिये प्रतिमाह एकमुश्त दर देना प्रस्तावित करेगा जिसके अधीन वेबसाइट को 24X7 प्रतिमाह निरंतर वेब बैनर डिस्पले रखना होगा। यह दरें दैनिक आधार पर प्रोराटा होंगी।
4. वेबसाइट बैनर के साथ-साथ विभाग की आवश्यकतानुसार प्रत्येक बैनर से संबद्ध Landing Page भी डिजाईन करेगी जिसके लिए कोई अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा।
5. एकमुश्त मासिक दरों में नियमानुसार लागू सरकारी करों को छोड़कर सभी व्यय समाहित होंगे। जिसमें विज्ञापन डिजाइन निर्माण भी सम्मिलित है।
6. यूनीक यूजर बेस (ग्लोबल) वेबसाइटों को निम्नानुसार श्रेणियों में विभाजित करता है :-
 - समूह क-20000 से अधिक यूनिक विजिटर्स/यूजर्स प्रतिमाह।
 - समूह ख-10001 (दस हजार एक) से 20000 (बीस हजार) यूनिक विजिटर्स/यूजर्स प्रतिमाह।
 - समूह ग-3000 (तीन हजार) से 10000 (दस हजार) यूनिक विजिटर्स/यूजर्स प्रतिमाह।
7. वेबसाइटों द्वारा वेब बैनरों के लिये प्रतिमाह एक मुश्त दर TOP, BOTTOM SIDE & Middle Positions के लिये निम्न तालिका के अनुसार प्रति बैनर साइज घोषित की जायेगी।

आवेदित गुप श्रेणी :- क, ख अथवा ग

क्रम स.	बैनर का आकार	Positon	प्रति माह की दर रू. में
1	728 x 90 Pixel	Top	
2	728 x 90 Pixel	Bottom	
3	468 x 60 Pixel	Top	
4	468 x 60 Pixel	Bottom	
5	300 x 250 Pixel	Top	
6	160 x600 Pixel	Side	
7	336 x280 Pixel	Middle	
8	250 x250 Pixel	Middle	
9	200 x200 Pixel	Middle	

8. यदि उपरोक्त वेबसाइटों का मोबाइल वर्जन उपलब्ध है, तो सभी बैनर आकारों के लिये Mobile Sites में 320X50 Pixel और 320X100 Pixel के बैनर आकार लगाना अपेक्षित होगा, जिनके लिये अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
9. प्रत्येक श्रेणी में प्रत्येक बैनर साइज के लये निविदा में प्राप्त दरों के तुलनात्मक अध्ययन के उपरांत न्यूनतम दर निर्धारित की जायेगी, जिस पर कार्य करने की सहमति आमंत्रित की जायेगी। किसी वेबसाइट की दरों के संपूर्ण योग के आधार पर न्यूनतम दर निर्धारित नहीं होगी।

10. किसी भी बैनर साइज के लिये घोषित न्यूनतम दर (ग्रुप वार) उस ग्रुप के लिये आधार दर (Base Rate) मानी जायेगी। आधार दर पर सूचीबद्धता हेतु क्रमशः उस ग्रुप में न्यूनतम दरें घोषित करने वाली वेबसाइटों को आमंत्रित किया जायेगा, जो इस दर पर सूचीबद्धता हेतु सहमत हों (Principle of first offer to lowest rate offering Websites)।
- 11- किसी भी ग्रुप में Base Rate आधार दर को अस्वीकार करने का अधिकार महानिदेशक का होगा।

अपर निदेशक,
कृते महानिदेशक,
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड,
लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून

फर्म का नाम :

पता :

टेलीफोन/मोबाइल नम्बर :

प्रोपराइटर के हस्ताक्षर :

३